



पत्रांक : स0कु0स0-2 B स0अ0/5001 /06-326-प्र.अनु.-2014 /2015,

दिनांक : 30 जून, 2015

सेवा में,

प्रबन्धक,  
प्रस्तावित स्वामी नाथ महाविद्यालय,  
शहरपलिया, खड़सरा,  
बलिया।

विषय:- स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय (कला संवर्ग) के अन्तर्गत हिन्दी, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र राजनीतिशास्त्र एवं गृहविज्ञान विषयों में प्रवक्ताओं अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 02.08.2014 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के संदर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या 5699/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक 23 अगस्त 2007 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत सविदा के आधार पर उक्त प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखिकित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	विषय
1.	डॉ० सच्चिदानन्द उपाध्याय	श्री रमाशंकर उपाध्याय	02.03.1969	पी०एच०डी०	प्रवक्ता संस्कृत
2.	डॉ० अरूण पाल	श्री राजाराम पाल	19.07.1966	पी०एच०डी०	प्रवक्ता हिन्दी
3.	डॉ० अजय कुमार सोनकर	श्री जियालाल सोनकर	08.07.1979	पी०एच०डी०	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र
4.	श्री रमेश कुमार निषाद	स्व० लालता प्रसाद	09.09.1982	नेट	प्रवक्ता राजनीतिशास्त्र
5.	श्री राजेश कुमार यादव	श्री रमाकान्त यादव	05.05.1985	नेट	प्रवक्ता समाजशास्त्र
6.	श्री विशाल	श्री जगदीश प्रसाद	01.03.1983	नेट	प्रवक्ता भूगोल
7.	डॉ० अनु सोनकर	श्री अशोक प्रसाद	10.06.1982	पी०एच०डी०	प्रवक्ता गृहविज्ञान

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक जाति-जाति आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं सविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वास्त्यास) पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्त के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त सविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,  
[Signature]  
29/06/15  
(सुभाष चन्द्र वर्मा)  
सहायक कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. माननीय कुलपति जी-सूचनार्थ।
2. कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी।
3. परीक्षा नियंत्रक, म०गा०काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

[Signature]  
(सुभाष चन्द्र वर्मा)  
सहायक कुलसचिव